1/8/22

द० जि० जा०,
10/8/2022

10/8/22 पत्रावली पेश की। आज पत्रावली को रजि० डाक द्वारा भेजी गई सम्मन मय डाक रसीद प्रार्थी अधिवक्ता ने पेश की। ILR से रिपोर्ट ली जावे। लिहाजा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 17/8/22 को पेश हो।

17/8 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी अवकाश/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से वकील हड़ताल की वजह पत्रावली दिनांक 24/8/22 को पेश हो। आज्ञा है।

24/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। ~~अप्रार्थी~~ अप्र०। ILR से मौका रिपोर्ट प्राप्त। ~~एक जांच~~ बहस पक्षकार सुनी गई बहस पर गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया। निर्णय पालनार्थ तहसीलदार को नकल भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
तहसील
EOS. LN.

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी:–राजकेश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:– 251/2022

धारा 251 A

प्रार्थीगण:–

1 बनाराम पुत्र श्री रामुराम

2 मगाराम पुत्र श्री रामुराम

3 लादुराम पुत्र श्री रामुराम

जातियान कुम्हार, निवासी किंजरी

तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1 प्रभुराम पुत्र श्री रतनाराम, जाति कुम्हार, निवासी किंजरी,

तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

2 श्रीमान् तहसीलदार, ओसियां

निर्णय **दिनांक** 29.8.22

प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नंबर 193 रकबा 0.8417 हैक्टेयर मौजा ग्राम किंजरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का शांतिपूर्ण कब्जा व काश्त चला आ रहा है।

प्रार्थीगण के उक्त भूमि के दक्षिणी तरफ कुछ एक रास्ता चलता है उक्त रास्ते व प्रार्थीगण की भूमि के मध्य अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नंबर 183/6 रकबा 1.9830 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है प्रार्थीगण के उक्त भूमि में आवागमन हेतु एक रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की उपरोक्त भूमि में से होकर चलता है। जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया हैं, वहीं से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते हैं तथा वहीं से खाद, बीज, फसल, चारे की झाले इत्यादि लाते ले–जाते है।

उक्त रास्ता राजस्व रेकड व नक्शे में दर्ज नहीं हैं, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 उक्त रास्ते को बंद कर देता है। जिससे प्रार्थीगण का आवागमन बंद हो जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा यह रास्ता प्रार्थी के लिए नजदीकी व लघुतम रास्ता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी के बीच पारस्परिक सहमति से उक्त रास्ते का निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए अप्रार्थी की उक्त भूमि में से प्रार्थीगण को 14 फीट चौडा रास्ता दिया जाना अतिआवश्यक है तथा उक्त रास्ते बाबत प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण संख्या 1 उपस्थित। भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट ली गई। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व भू–अभिलेख रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये जाने के पश्चात न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुंचा है।

251 ए **राजस्थान** काश्तकारी **अधिनियम के** तहत **जांच** योग्य बिन्दु:–

1 **रास्ते की आकस्मिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव:–** प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 193 में नियमित रूप से कृषि कार्य हेतु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सार्वजनिक/बारहमासी चालू रास्ते का अभाव है। कृषि कार्य हेतु निर्विवाद चालू रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की यही मंशा है कि काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंचने हेतु रास्ता प्रदान किया जाये। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी द्वारा इसके खंडन में अपना राजस्व

रिकॉर्ड मे दर्ज वैकल्पिक रास्ते के संबध में कोई साक्ष्य–दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इस आधार पर आवश्यकता सिद्ध एवं रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

2 लघुतम, **निकटतम एवं सुगमतक रास्ता**:– प्रार्थी द्वारा बिन्दू ए से बी चिन्हित रास्ता खसरा 183/6 है। यह रास्ता प्रार्थी के खसरा नंबर 193 तक पहुंचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता हे एवं अप्रार्थीगण के कम से कम रकबे को प्रभावित किया जाता है अतः वर्णित स्थान से रास्ता घोषित किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा आवागमन हेतु 14 फिट चौडे रास्ते की मांग की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी को रिपोर्ट नजरिये नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है और उक्त रास्ता बिना प्रतिफल लिए देना चाहते हैं।

आदेश

न्यायालय द्वारा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 193 ग्राम किंजरी में जाने हेतु खसरा नंबर 183/6 में से मांग के अनुसार 4.26 मीटर चौडा एवं बिन्दू ए से बी तक 20 मीटर लंबा रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थी द्वारा संलग्न नजरिये नक्शे एवं भू–अभिलेख निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट फैसले के साथ पढ़ा जाए। रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी बिना प्रतिफल लिये रास्ता देना चाहता है। उपरोक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड व लट्ठा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे। संबंधित तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, ओसिया

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

आदेश आज दिनांक 24.8.22 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

सहायक कलक्टर, ओसिया

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां